2025/10

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट

श्री रामभूषण शर्मा
निवासी विष्णु धर्मशाला के पास
आबूरोड
जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा-- **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 04 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
28.01.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 11.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 19.07.2024 को संभागीय आयुक्त पाली को एक पंजीकृत आवेदन प्रेषित कर आवासन मण्डल आबूरोड में परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु निवेदन किया, जिसे दिनांक 31.07.2024 को जिला कलक्टर सिरोही को उक्त कार्यवाही हेतु पृष्ठाकिंत करते हुए एक प्रति प्रेषित की गई। उक्त आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं अपीलांट द्वारा दिनांक 27.09.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उनके अधिवक्ता द्वारा दिए गए नोटिस की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/- जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 11.12.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा दिनांक 19.07.2024 को संभागीय आयुक्त पाली को एक पंजीकृत आवेदन प्रेषित कर आवासन मण्डल आबूरोड में परियोजना अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही एवं भ्रष्टाचार की जांच हेतु निवेदन किया, जिसे दिनांक 31.07.2024 को जिला कलक्टर सिरोही को उक्त कार्यवाही हेतु पृष्ठाकिंत करते हुए एक प्रति प्रेषित की गई। उक्त आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं अपीलांट द्वारा दिनांक 27.09.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उनके अधिवक्ता द्वारा दिए गए नोटिस की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र [illegible]ो.सू.अ./रेकर्ड/2025/21 दिनांक 24.01.2025 के द्वारा अपीलांट को सू[illegible] कर[illegible] गया है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक [illegible] कलक्टर सिरोही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थि[illegible] में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। नि[illegible]र-ए-इजलास सुनाया ग[illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:57:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner